

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी
शुक्रवार, 28 अक्टूबर, 1997/कार्तिक 06, 1919 [शक]

संख्या : 350

सदस्य की नजरबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 23. 10. 1997 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको सतम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री मदन लाल खुराना को उनके अन्य समर्थकों सहित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत पुलिस संसद मार्ग, नई दिल्ली के विधिसम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिनांक 22. 10. 97 को अपराहन 1.37 बजे रजिस्टार को-ऑपरेटिव सोसाईटी संसद मार्ग, नई दिल्ली के कार्यालय के सामने नजरबंद किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 22. 10. 97 को अपराहन 1.43 बजे, पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया।"

पो. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Tuesday, 28th October, 1997/Kartika 06, 1919 (Saka)

No. 350

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message dated 23.10.1997 addressed to the hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from the Deputy Commissioner of police, New Delhi District, New Delhi :-

"I have the honour to inform you that Shri Madan Lal Khurana, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of the police from Parliament Street, in front of the Office of the Registrar, Co-operative Societies, New Delhi on 22.10.97 at 1.37 P.M.

He was released at 1.43 P.M. from P.S. Parliament Street, New Delhi the same day i.e. on 22.10.97.